

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 11/18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री सत्यानन्द तोपनो

- विक्रेता

श्रीमती सुनीता रश्मि

- क्रेता

वाद की क्रम  
संख्या और  
तारीख

5-7-2018

## आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री सत्यानन्द तोपनो पिता स्व0 जेम्स तोपनो ग्राम दियांकेल, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने श्रीमती सुनीता रश्मि पति श्री सुखराम ग्राम हुसीर पहान टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
दियांकेल	51	38	2193	0.17

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 066281 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 287(ii) दिनांक 08.06.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मसीह दास महतो वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मसीह दास महतो वगैरह के नाम भूमि का रकबा 28.81 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 2.78 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00 (एक हजार सात सौ तैंतीस)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्र य के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 2.61 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रे ता-वि क्रेता को भूमि क्र य-वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री सत्यानन्द तोपनो पिता स्व0 जेम्स तोपनो को श्रीमती सुनीता रश्मि पति श्री सुखराम के साथ ग्राम दियांकेल के खाता सं0 38 खेसरा संख्या 2193 का रकबा 0.17 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00 (एक हजार सात सौ तैंतीस)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्र य की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।